

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 5840
TO BE ANSWERED ON 30.03.2026**

PENSION SCHEMES FOR WORKERS

†5840. SHRI ARUN KUMAR SAGAR:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

- (a) the details of pension schemes for workers in the country;**
- (b) the details of provisions for unorganised sector in the said schemes;**
- (c) the details of number of workers benefited from pension schemes in Shahjahanpur Lok Sabha Constituency;**
- (d) the details of problems being faced in payment of pension in the country; and**
- (e) the details of impact of the said schemes on economic security of workers?**

ANSWER

**MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)**

(a) to (e): The Central Government has introduced the following contributory pension schemes for workers in the unorganised sector.

(i) The Atal Pension Yojana was launched on 09 May 2015 with the objective of creating a universal social security system for all citizens of India, particularly the poor, the underprivileged, and workers in the unorganised sector. The scheme is open to all Indian citizens between the ages of 18 and 40 years who are not income taxpayers and who have a savings bank account or post office savings account. Under the scheme, subscribers are entitled to receive a guaranteed pension benefit upon attaining the age of 60 years.

(ii) Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM):The Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM) scheme was launched in February, 2019 in order to provide old age protection to the workers of the unorganised sector such as construction workers, home-based workers, street vendors, domestic workers and other similar categories. This is a voluntary and contributory pension scheme. Under the scheme, a monthly assured pension of Rs. 3000/- is

Contd..2/-

provided to unorganised workers after attaining the age of 60 years, and the spouse is eligible for 50% of the pension as family pension. Workers in the age group of 18–40 years whose monthly income is Rs. 15,000/- or less and who are not members of EPFO/ESIC/NPS (Government funded) and are not income tax payers are eligible to join the scheme. The monthly contribution by the beneficiary ranges from Rs. 55/- to Rs. 200/- depending upon the entry age of the beneficiary. Under the scheme, an equal matching contribution is paid by the Central Government. Enrolment in the scheme is done through the Common Service Centres (CSCs), which have a network of about 4 lakh centres across the country. Eligible unorganised workers can also self-enrol by visiting the portal www.maandhan.in.

(iii) National Pension Scheme for Traders and Self-Employed Persons (NPS-Traders): The National Pension Scheme for Traders and Self-Employed Persons was launched in September, 2019. This is a voluntary and contributory pension scheme that provides a monthly assured pension of Rs. 3000/- after attaining the age of 60 years to small and working traders, shopkeepers and self-employed persons. Traders, shopkeepers and self-employed persons in the age group of 18–40 years with an annual turnover not exceeding Rs. 1.5 crore, who are not members of EPFO/ESIC/NPS (Government funded)/PM-SYM and are not income tax payers, are eligible to join the scheme. The monthly contribution by the beneficiary ranges from Rs. 55/- to Rs. 200/- depending upon the entry age of the beneficiary, and an equal matching contribution is paid by the Central Government. Enrolment in the scheme is done through the Common Service Centres (CSCs), which have a network of about 4 lakh centres across the country. In addition, eligible persons can also self-enrol by visiting the portal www.maandhan.in.

(iv) Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana (PM-KMY): It is an old-age pension scheme for all landholding Small and Marginal Farmers (SMFs) in the country. It is a voluntary and contributory pension scheme for individuals in the entry age group of 18 to 40 years, with a provision for payment of a monthly pension of Rs. 3,000 upon attaining the age of 60 years. The monthly contribution by the beneficiary ranges from Rs. 55 to Rs. 200, depending upon the entry age of the beneficiary.

The pension payouts under APY will commence from 2035, while those under PM-SYM, NPS-Traders and PM-KMY will commence from 2039.

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5840
सोमवार, 30 मार्च, 2026 / 09 चैत्र, 1948 (शक)

कामगारों के लिए पेंशन योजनाएं

5840. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में कामगारों के लिए पेंशन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त योजनाओं में असंगठित क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) शाहजहाँपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पेंशन योजनाओं से लाभान्वित कामगारों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
- (घ) देश में पेंशन के भुगतान में आने वाली समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) कामगारों की आर्थिक सुरक्षा पर उक्त योजनाओं के प्रभाव ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए निम्नलिखित अंशदायी पेंशन योजनाएं शुरू की हैं।

(i) अटल पेंशन योजना दिनांक 09 मई 2015 को भारत के सभी नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के उन सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है जो आयकर दाता नहीं हैं और जिनका बचत बैंक खाता या डाकघर बचत खाता है। इस योजना के तहत, अंशदाता 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर गारंटीकृत पेंशन हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

(ii) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम): प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना फरवरी, 2019 में सन्निर्माण कामगारों, गृह-आधारित कामगारों, स्ट्रीट वेन्डर्स, घरेलू कामगारों और अन्य समान श्रेणियों जैसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण

जारी..2/-

प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद असंगठित कामगारों को ₹ 3,000/- की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है, और जीवनसाथी, पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% पेंशन के लिए पात्र है। 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के कामगार जिनकी मासिक आय ₹ 15,000/- या उससे कम है और जो ईपीएफओ / ईएसआईसी / एनपीएस (सरकारी वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं और आयकर दाता नहीं हैं, वे इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। लाभार्थी द्वारा मासिक अंशदान, लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर ₹ 55/- से ₹ 200/- के बीच होता है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार द्वारा समान मिलानकारी अंशदान का भुगतान किया जाता है। योजना में नामांकन सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से किया जाता है, जिनका देश भर में लगभग 4 लाख केंद्रों का नेटवर्क है। पात्र असंगठित कामगार पोर्टल www.maandhan.in पर जाकर स्वयं भी नामांकन कर सकते हैं।

(iii) व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस-व्यापारी):

व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना सितंबर, 2019 में शुरू की गई थी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जो छोटे और कामकाजी व्यापारियों, दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3000/- की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है। 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के वे व्यापारी, दुकानदार और स्व-नियोजित व्यक्ति जिनका वार्षिक टर्नओवर ₹ 1.5 करोड़ से अधिक नहीं है, जो ईपीएफओ / ईएसआईसी / एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित)/ पीएम-एसवाईएम के सदस्य नहीं हैं और आयकर दाता नहीं हैं, इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। लाभार्थी द्वारा मासिक अंशदान, लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर ₹ 55/- से ₹ 200/- के बीच होता है, और केंद्र सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है। योजना में नामांकन सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से किया जाता है, जिनका देश भर में लगभग 4 लाख केंद्रों का नेटवर्क है। इसके अतिरिक्त, पात्र व्यक्ति पोर्टल www.maandhan.in पर जाकर स्वयं भी नामांकन कर सकते हैं।

(iv) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई): यह देश के सभी भूमिधारक लघु और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है। यह 18 से 40 वर्ष की प्रवेश आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ₹3,000 की मासिक पेंशन के भुगतान का प्रावधान है। लाभार्थी द्वारा मासिक अंशदान, लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर ₹ 55 से ₹ 200 के बीच होता है।

एपीवाई के तहत पेंशन भुगतान 2035 से शुरू होगा, जबकि पीएम-एसवाईएम, एनपीएस-व्यापारी और पीएम-केएमवाई के तहत पेंशन भुगतान 2039 से शुरू होगा।